संख्या- 2029/2022/2029/नौ-9-2022-191ज/20

प्रेषक,

रंजन कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 06 अक्टूबर, 2022**

विषय- विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा नागर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों को यूनिक प्रापर्टी आई0डी0 (Unique Property ID) जनरेट किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शहरीकरण की बढती प्रवृत्ति और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में नगरीय निकायों का गठन, उच्चीकरण एवं सीमा विस्तार किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 762 नागर निकाय है। उक्त नागर निकायों में स्थित सम्पत्तियों पर टैक्स आदि आरोपित करने, क्षेत्र के निवासियों को मूलभूत आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराने यथा पेयजल, सीवर, पार्क ओपेन स्पेस आदि, सम्पत्तियों के क्रय विक्रय, नामांतरण आदि को सुविधाजनक ढग से निष्पादित करने के लिये निकायों मे स्थिति प्रत्येक सम्पत्ति के लिये एक यूनिक आई0डी0 संख्या उपलब्ध करायी गयी है। विभिन्न निकायों में सम्पत्ति की पहचान के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में एकरूपता न होने के कारण सम्पत्ति के विवरण की जानकारी (Property Identification) जनसामान्य को सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है। भारत सरकार द्वारा निर्गत बिजनेस रिफाम्र्स के सुधारात्मक चरण में इस बिन्दु को रेखांकित करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सम्पत्तियों हेतु यूनिक प्रापर्टी पहचान (Unique Property ID) की व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही की जाये। उपर्युक्त उददेश्य की पूर्ति के लिये शासनादेश संख्या-2426/नौ-9-2020-191ज/2020, दिनांक-17.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसके माध्यम से समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में प्रत्येक सम्पत्ति हेतु 17 अंकों का एक यूनिक कोड निम्नवत निर्धारित किया गया हैः-

(1)	यूनिक कोड के प्रथम 2 अंक	लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री (LGD Local Goverment Directory) के अनुसार प्रदेश का कोड।
(2)	यूनिक कोड के अंक 3 से 5	स्थानीय निकाय बोर्ड।
(3)	यूनिक कोड के अंक 6 से 7	स्थानीय निकाय जोनल बोर्ड।
(4)	यूनिक कोड के अंक 8 से 10	स्थानीय निकाय बोर्ड का कोर्ड।
(5)	यूनिक कोड के अंक 11 से 16	सम्पत्ति कोड
(6)	यूनिक कोड के अंक 17 सम्पत्ति के लिये	विशेष अक्षर-'R' आवासीय 'N' अनावासीय सम्पत्ति के लिये 'M' मिश्रित सम्पत्ति के लिये

इस प्रकार प्रदेश के प्रत्येक निकाय के प्रत्येक सम्पत्ति के लिये 17 अंकों वाला एक यूनिक कोड निम्नवत् प्रदर्शित होगाः-

राज्य कोड (2 अंक)	निकाय कोड (3 अंक)	जोन कोड (2 अंक)	वार्ड कोड (3 अंक)	सम्पत्ति/भूखण्ड कोड (6 अंक)	विशेष अक्षर (1 अंक)	कुल कोड (17 अंक)

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

2. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा नागर निकायों में स्थित सम्पत्तियों का 17 अंको का यूनिक कोड तत्काल जनरेट किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु आगामी एक सप्ताह में अभियान चलाकर समस्त सम्पत्तियों की यूनिक कोड जनरेट कर लिये जाये।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक.यथोक्त।

भवदीय,

(रंजन कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिरीक्षक, निबधन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निवेश मित्र, इनवेस्ट यू0पी0।
3. औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्य में आवश्यक तकनीकी सहयोग नगरीय निकाय निदेशालय को प्रदान करने का कष्ट करें।
5. श्री मोहन ठाकुर, मुख्य समन्वयक (आई0टी0) को इस आशय के साथ प्रेषित कि निबंधन कार्यालय एवं एन0आई0सी0 के मध्य उक्त प्रक्रिया की एस0ओ0पी0 जारी कराने एवं आॅनलाइन पोर्टल पर कार्य सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी समन्वय करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**